न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 171 / 2024 (जी.सी.एम.एस. 2024 / 297)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1 बुध कौर पत्नी जीवन सिंह पुत्री कृपाल सिंह जाति बावरी निवासी 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।		1 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू – 03.09.2024

उपस्थितः 1.श्री इन्द्राज सेजू, मनीष जागिंड अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 आरटीए

—निर्णय— दिनांक : 10.10.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक 12 एस, पटवार मण्डल धनूर, तहसील श्रीकरनपुर की चालू जमाबंदी के खाता संख्या 11/8 के मुरब्बा नम्बर 36 में कुल रकबा 2.404 हैक्टेयर भूमि खातेदार कृपाल सिह पुत्र चानन सिंह जाति बावरी के नाम से अंकित है। कृपाल सिह के नाम से वर्णित भूमि पर पंजाब नेशनल बैंक, शाखा धनूर-359100 में ऋण खाता संख्या 3591008800008277 दिनांक 26.02.2008 संचालित किया हुआ था और ऋण प्राप्त किया गया था। वादिया के पिता के द्वारा अपने जीवनकाल में वादिया के नाम से अपनी कुल भूमि में से 2.404 हैक्टेयर भूमि में से 0.721हैक्टेयर भूमि का पंजीकृत दान पत्र दिनांकित 16.08.2010 को करवा दिया था। उक्त दान पत्र उपपंजीयक कार्यालय, केसरीसिंहपुर से पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 65 पृष्ठ सख्या 195 क्र0सं0 795 एवं अतिरिक्त पु0सं0 1 जि0सं0 100 पृ0सं0 414-415 दिनांक 16.08.2024 को पंजीबद्ध है। उक्त दान पत्र निष्पादित करते समय उपपंजीयक कार्यालय, केसरीसिंहपुर द्वारा इस आश्य का नोट अंकित किया था कि रहनफक होने पर ही नामांतरण के लिए मान्य है। वादिया के पिता कृपाल सिंह पुत्र नानक सिह की मृत्यु दिनांक 07.09.2014 को गांव 6 वी धनूर में हो चुकी है। मृतक कृपाल सिंह के वारिसो द्वारा बैंक में तमाम ऋण राशि अदा कर दी थी और बैंक द्वारा उक्त संचालित ऋण खाता में दिनांक 03.02.2020 को तमाम ऋण की अदायगी होने के पश्चात् मृतक कृपाल सिह के नाम से संचालित ऋण खाता को दिनांक 03.02.2020 को बंद कर दिया। इसके पश्चात् कई बार वादिया पंजीकृत दान पत्र दिनांकित 16.08.2010 की प्रतिलिपि व कृपाल सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर, राजस्व पटवारी व तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर के समक्ष उपस्थित हुयी और नामांतरण दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया, लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि उक्त भूमि बैंक में भारग्रस्त है। इस कारण उक्त भूमि का नामांतरण नही हो सकता है, आप बैंक से संबंधित प्रमाण पत्र लेकर आओ, तभी तुम्हारा नामांतरण दर्ज करेगे। इसके पश्चात् वादिया कई बार बैंक में गयी, लेकिन उसको कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया, जिस पर वादिया द्वारा दिनांक 30.08.2024 को लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया गया और ऋण खाता के संबंध में विवरण प्राप्त किया गया, जिसमें स्पष्ट अंकित है कि उक्त ऋण खाता दिनांक 03.02.2020 को बंद कर दिया गया है। वादिया के नाम से भूमि मुताबिक दान पत्र के अंकित नही है, जिस कारण वादिया को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादिया घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 12 एस, पटवार मण्डल धनूर, तहसील श्रीकरनपुर की चालू जमाबंदी के खाता संख्या 11/8 के मुरब्बा नं0 36 में कुल रकबा 2.4040 हैक्टेयर भूमि में से वादिया को पंजीकृत दान पत्र दिनांकित 16.08.2010, उपपंजीयक कार्यालय, केसरीसिंहपुर के आधार पर खातेदार घोषित किया जाने के आदेश व डिक्री पारित की जावे व तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर को आदेशित किया जावे कि मृतक कृपाल सिंह की भूमि जो कि बैंक पंजाब नेशनल बैंक, शाखा धनूर के नाम से रहन अंकित है को बैंक द्वारा जारी प्रपत्र दिनांक 30.08.2024 की पालना में कृषि भूमि को रहन मुक्त किया जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 2998 दिनांक 23.09.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 12 एस की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 11/8 के मुरब्बा नम्बर 36 की कुल 2.404 हैक्टेयर भूमि कृपाल सिंह पुत्र चानन सिंह के नाम खातेदार दर्ज है व भूमि पर पंजाब

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

नेशनल शाखा धनूर के जरिये ईन्तकाल संख्या 368 दिनांक 27.02.2008 रहन दर्ज है। खातेदार कृपाल सिंह द्वारा वादिया बुधकौर पत्नी जीवन सिंह पुत्री कृपाल सिंह जाति बावरी को कुल रकबे में से किला नम्बर 2, 3 व 4 की कुल 0.721 हैक्टेयर नहरी भूमि दानपत्र किया गया। भूमि रहन होने के कारण दान का नामातंरण दर्ज नहीं किया जा सकता। वर्तमान में खातेदार कृपाल सिंह पुत्र चनन सिंह की मृत्यू हो चुकी है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 12 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 11/08 की छायाप्रति, बैंक खाता की सटेटमेंट की प्रमाणित प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, मृत्यू प्रमाण पत्र की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, पंजीकृत दानपत्र दिनांक 16.08.2010 की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 12 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 11/08 में रहन पंजाब नेशनल बैंक शाखा धनूर हटाया जाकर पंजीकृत दानपत्र दिनांक 16.08.2010 के आधार पर वादी बुध कौर पत्नी जीवन सिंह पुत्री कृपाल सिंह को 0.721 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 12 एस की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 11/8 के मुरब्बा नम्बर 36 की कुल 2.404 हैक्टेयर भूमि कृपाल सिंह पुत्र चानन सिंह के नाम खातेदार दर्ज है व भूमि पर पंजाब नेशनल शाखा धनूर के जरिये ईन्तकाल संख्या 368 दिनांक 27.02.2008 रहन दर्ज है। खातेदार कृपाल सिंह द्वारा वादिया बुधकौर पत्नी जीवन सिंह पुत्री कृपाल सिंह जाति बावरी को कुल रकबे में से किला नम्बर 2, 3 व 4 की कुल 0.721 हैक्टेयर नहरी भूमि दानपत्र किया गया। भूमि रहन होने के कारण दान का नामातंरण दर्ज नहीं किया जा सकता। वर्तमान में खातेदार कृपाल सिंह पुत्र चनन सिंह की मृत्यू हो चुकी है। के.सी.सी खाता की सटेटमेंट के मुताबिक कृपाल सिंह पुत्र चानन सिंह के नाम से दिनांक 26.02.2008 को खाता खोला गया है तथा दिनांक 02.03.2020 को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत ऋण जमा करवाने पर खाता बन्द कर दिया गया है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 12 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 11/08 की कुल 2.404 हैक्टेयर भूमि में रहन पंजाब नेशनल बैंक शाखा धनूर हटाया जाकर वादिया वुधो उर्फ वुध कौर पत्नी जीवन सिंह पुत्री कृपाल सिंह जाति बावरी निवासी 6 वीं धनूर को पंजीकृत दानपत्र दिनांक 16.08.2010 की रूह से मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 2 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 3 की 0.253 हैक्टेयर भूमि, किला नम्बर 4 की 0.215 हैक्टेयर कुल 0.721 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 10.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

बुध कौर बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88, 209 आरटीए
मुकदमा नम्बर 171/2024
निर्णय दिनांक :- 10.10.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू, श्री मनीष जागिंड उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 12 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 11/08 की कुल 2.404 हैक्टेयर भूमि में रहन पंजाब नेशनल बैंक शाखा धनूर हटाया जाकर वादिया बुधो उर्फ बुध कौर पत्नी जीवन सिंह पुत्री कृपाल सिंह जाति बावरी निवासी 6 वीं धनूर को पंजीकृत दानपत्र दिनांक 16.08.2010 की रूह से मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 2 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 3 की 0.253 हैक्टेयर भूमि, किला नम्बर 4 की 0.215 हैक्टेयर कुल 0.721 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॅार्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॅार्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 10.10.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/2024/535 दिनांकः 10.10.2024

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर